बार प्रयत्न करने पर भी नम्बर नहीं मिलता। एक टेलीफोन पर कालों की अधिकता के कारण ट्रैफिक ग्रुपों में बहुत अधिक काल एकत्र होने की दृष्टि से भी ऐसे आवेदकों को एक से अधिक टेलीफोन देना आवश्यक हो जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार दिये गये टेलीफोनों की संख्या २० है।

(ङ) जैसे जैसे टेलीफोन संयोजन दे के लिए आवश्यक सामान और केबल-युग्म उपलब्ध होंगे, टेलीफोन लगातार दिये जाते रहेंगे। फिर भी यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रतीक्षा-सूची वाले आवेदकों की मांगों को कब तक पूरा किया जा सकेगा।

कानपुर टेलीफोन एक्सचेंज

२७६०. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर टेलीफोन एक्सचेंज से १ जनवरी, १९६० से अब तक कुल कितने ट्रंक काल बुक किये गये;

(ख) उन में से कितने ट्रंक काल लाइन न मिलने के कारण रद्द कर दिये गये; और

(ग) इस कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १ जनवरी, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक कानपुर में बुक किये गये ट्रंक कालों की कुल संख्या ४.८२ लाख थी।

(ख) लाइनों के उपलब्ध न रहने के कारण रद्द किये गये कालों का वर्गीकरण अलग से नहीं रखा गया है, किन्तु विभागीय कारणों से न मिलने के कारण जिन कालों को रद्द कर दिया गया, उन की संख्या कुल बुक किये गये कालों का १६ प्रतिशत है।

(ग) कालों को रद्द करने के कारण यदि कोई हानि उठानी पड़ी है तो उस के आंकड़े देना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है।

कानपुर तथा लखनऊ टेलीफोन एक्सचेंजों की टेलीफोन डाइरेक्टरी

२७६१. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर तथा लखनऊ टेलीफोन एक्सचेंज की डायरेक्टरी कब से पुनः प्रकाशित नहीं हुई है;

(ख) इस के प्रकाशित न होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस के प्रकाशित न होने के कारण विज्ञापनों से होने वाली आय में अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(घ) अब उस के कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) लखनऊ कानपुर की टेलीफोन डायरेक्टरी का अन्तिम संस्करण, जिस पर जनवरी, १९६१ की तारीख दी गई है, मार्च, १९६१ में तैयार हो गया था और उसे उपभोक्ताओं को मार्च में ही बांट दिया गया था।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

Cases under Indian Forest Act

2762. Shri Dasaratha Deb: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the number of cases instituted in Tripura under the Indian Forest Act during 1959-60 and 1960-61;